[2018] 1 एस.सी.आर. 618

भारत संघ

बनाम

जरोपराम

आपराधिक अपील सं. 741-742/2011

31 जनवरी, 2018

एन.वी. रमना और एस. अब्दुल नाज़र, जे एन. वी. रमना, जे.जे.

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985, धारा 52 ए-जब्त मादक पदार्थों का निस्तारण-प्रत्यार्थी-अभियुक्तों से 7.2 किलोग्राम प्रतिषिद्ध सामग्री (अफीम) की वसूली का आरोप- धारा 8/18 सपाठित धारा 29 के तहत दोषसिद्धि-उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर कि जब्त मामले की संपत्ति का थोक मात्रा कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा निस्तारण नहीं गया था; धारा 67 के तहत अभियुक्त का बयान पुलिस हिरासत में दर्ज किया गया था और आरोपियों के हस्ताक्षर को कोरे कागजों पर गलत तरीके से प्राप्त किया गया था- अभिनिर्धारित किया गया कि आक्षेपित आदेश में, उच्च न्यायालय ने सभ्प्रेक्षण किया कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश से यह नहीं पता चलता है कि संपत्ति का निस्तारण किया गया था, लेकिन यह दर्ज किया गया था कि नमूने तैयार करने के बाद, नमूने और संपत्ति की थोक मात्रा जांच अधिकारी को वापस कर दी गई थी-इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि संपत्ति का निस्तारण नहीं किया गया था-अभियोजन पक्ष की ओर से जब्त अफीम की थोक मात्रा का उत्पादन करने के लिए नमूने की वास्तविकता पर संदेह पैदा किया कथित रूप से जब्त किए गए कंट्राबेंड से खींचा गया-रिकॉर्ड के एक अवलोमन से पता चला कि किसी भी समय अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त अफीम को नष्ट करने या उसके निस्तारण के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई थी-यहां तक कि अभियुक्त को इस तरह से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था कथित विनाश/ निस्तारण -उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचकर अभियोजन की कहानी पर अविश्वास करने में कोई त्रुटि नहीं की कि परीक्षण के समय, गवाहों के बयानों के समय गवाहों को भारी मात्रा में कंट्राबेंड पर प्रदर्श नहीं डाला गया था।

स्वतंत्र गवाह भी पक्षद्रोही घोषित हुए है और इसके मामले का समर्थन नहीं किया-यह रिकॉर्ड से प्रकट होता है कि उन्होंने जांच एजेंसी के दबाव में कागजात पर अपने हस्ताक्षर डाल दिया, अभियोजन पक्ष का संस्करण कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से इकबालिया बयान दिया. एक प्रमुख अभियोजन पक्ष के गवाह नारकोटिक्स ऑफिसर (पीडब्लू 5) द्वारा प्रस्तुत बयान के आलोक में विश्वास नहीं किया जा सकता है कि अधिनियम के धारा 67 के तहत अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया था, जबकि वह उनकी अभिरक्षा में था और समय का उल्लेख नहीं किया गया था।

इस तथ्य को पीडब्लू 6 के बयान के साथ आगे भी पुष्टि की गई थी कि गिरफ्तारी के बाद और हिरासत में रहते हुए अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया था-इस प्रकार, यह नहीं कहा जा

सकता है कि अपराध कबूल करने वाले अभियुक्त का बयान स्वेच्छा से बनाया गया था, अधिनियम के प्रावधानों के तहत-उच्च न्यायालय के आदेश के साथ हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया की-

1. कार्यकारी मजिस्ट्रेट की कार्यवाही से, यह स्पष्ट है कि शेष जब्त सामान को कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाया नहीं गया था. हमेशा की तरह सील किए गए नमूनों को भी भौतिक रूप से जांच अधिकारी (पीडब्लू 6) को सौंप दिया गया. इसके अलावा ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में विशेष रूप से जब्त संपत्ति और मामले के रिकॉर्ड को सुरक्षित हिरासत में रखने के निर्देश दिए, क्योंकि सह-अभियुक्त फरार था। ऐसी स्थिति में, यह महत्व रखता है कि

यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि कंट्राबेंड की शेष थोक मात्रा का क्या हुआ. अभियोजन पक्ष से उचित स्पष्टीकरण का अभाव इसके मामले को काफी कमजोर करता है और गवाहों द्वारा दिए गए बयानों के स्पष्ट मूल्य को कम करता है। [पैरा 9] [624-बी-डी]

2. जब्त अफीम की थोक मात्रा का प्रस्तुत करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से चूक कथित रूप से जब्त किए गए विरोधाभास से निकाले गए नमूनों की वास्तविकता पर न्यायालय के मन में संदेह पैदा करेगी। हालाँकि, सरल तर्क जो उसी को नष्ट कर दिया गया था, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह किस अधिकार पर किया गया था। कानून की आवश्यकता है कि इस तरह के एक प्राधिकरण को मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश से प्रवाहित होना चाहिए। रिकॉर्ड के एक अवलोकन से पता चलता है कि किसी भी समय किसी भी प्रार्थना में अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त अफीम को नष्ट करने या उसके निपटान के लिए प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन पक्ष को कार्रवाई का एकमात्र सहारा लेना चाहिए था, इसके निपटान के लिए अधिनियम की धारा 52 ए के तहत परिकल्पित मजिस्ट्रेट के सक्षम न्यायालय से एक आदेश प्राप्त करना है। यह स्पष्ट रूप से अधिनियम के तहत बनाया गया है कि जब भी ऐसा कोई आवेदन किया जाता है, मजिस्ट्रेट, जैसे ही हो, आवेदन की अनुमति दे सकता है। [पैरा 10] [624-ई-जी]

3. इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने निपटान/विनाश के लिए ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया है कथित तौर पर भारी मात्रा में कंट्राबेंड सामग्री जब्त की गई और न ही मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित किया गया. यहां तक कि इस तरह के कथित विनाश/निपटान से पहले अभियुक्त को कोई नोटिस नहीं दिया गया है. ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन की कहानी को जल्दबाजी में माना है और प्रतिषिद्ध पदार्थ की थोक मात्रा के न्यायलय में पेश हुए बिना प्रत्यार्थी को सजा सुनाई है। लेकिन, उच्च न्यायालय ने मामले के इस पहलू से निपटने और अभियोजन की कहानी पर अविश्वास करने में कोई त्रुटि नहीं की इस निष्कर्ष पर कि परीक्षण में, साक्ष्य को जोड़ने के समय गवाहों को भारी मात्रा में प्रतिषिद्ध पदार्थ में पेश कर प्रदर्शकित नहीं किया गया था। [पैरा 11] [624-एच; 625-ए-बी]

4. अभियोजन मामले में अन्य विसंगतियों की ओर मुड़ते हुए, अभियोजन पक्ष द्वारा चित्रित पीडब्लू 1 और 2 के स्वतंत्र गवाहों को पक्ष द्रोही घोषित करा गया और इसके मामले का समर्थन नहीं किया, यह रिकॉर्ड से प्रकट होता है कि उन्होंने जांच एजेंसी के दबाव पर कागजात पर अपने हस्ताक्षर डाल दिए थे। एक अन्य पहलू जो अभियुक्त के पक्ष में जाता है, अभियोजन पक्ष का कथानक में प्रत्यार्थी ने स्वेच्छा से इकबालिया बयान दिया है, प्रवेश के प्रकाश में विश्वास नहीं किया जा सकता है जबकि नारकोटिक्स ऑफिसर (पीडब्लू 5), एक प्रमुख अभियोजन पक्ष के गवाह द्वारा, कि अधिनियम की धारा 67 के तहत अभियुक्त-प्रत्यार्थी का बयान दर्ज किया गया था, जबकि वह उसकी हिरासत में था और बयानों पर समय का उल्लेख नहीं किया गया था। यह तथ्य आगे पीडब्लू 6 के बयान के साथ भी पुष्टि करता है कि गिरफ्तारी के बाद और हिरासत में रहते हुए अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया था. इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपराध कबूल करने वाले अभियुक्त का बयान स्वेच्छा से अधिनियम के प्रावधानों के तहत अंकित किया गया था. [पी आरा 12] [625-सी-एफ]

नूर आगा बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2008) 16 एससीसी 417: [2008] 10 एससीआर 379-पर निर्भर। केस लॉ संदर्भ

[2008] 10 एससीआर 379 पैरा 10 पर निर्भर था

क्रिमिनल अपीलीय क्षेत्राधिकार आपराधिक अपील नं. 2011 का 741-742।

मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ द्वारा आपराधिक अपील सं. 621 व 772 / 2008 यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम जरोपराम में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 23.02.2010 से,

के. राधाकृष्णन, वरिष्ठ सलाहकार, सुश्री साधना संधू, सुश्री किरण भारद्वाज, बीवी बलरामदास, मनीष वशिष्ठ, सलाहकार. अपीलार्थी के लिए.

सुशील कुमार जैन, सीनियर एडवोकेट, पुनीत जैन, हर्ष जैन, अभिनव गुप्ता, सुश्री क्रिस्टी जैन (सुश्री प्रतिभा जैन के लिए), सलाहकार. उत्तरदाता के लिए.

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति **एन. वी. रमना, जे.** द्वारा दिया गया-

1. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि आपराधिक अपील सं. 2011 के 742 को पहले ही खारिज कर दिया गया है क्योंकि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 11 अप्रैल, 2016 को माननीय न्यायाधीश द्वारा चैंबर में पारित किया गया था। अब हमें क्रिमिनल अपील नं. केवल 741/2011 जो 23 फरवरी, 2010 के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ द्वारा आपराधिक अपील संख्या में 621/2008 में पारित निर्णय के विरुद्ध है, जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रत्यार्थी की अपील स्वीकार कर उसके खिलाफ धारा 8/18 (बी) के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया, जिसे नारकोटिक ड्रग्स एंड

साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 29 के साथ पढ़ा गया (बाद में इसे 'अधिनियम' कहा गया).

2. अभियोजन की कहानी से निकले मामले का संक्षिप्त इतिहास यह है कि मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर 11 मई, 2004 को पीडब्लू 7-पी. के. सिन्हा (इंस्पेक्टर) ने एक जाल बिछाया और भीलखंडा स्क्वायर में प्रत्यार्थी सहित तीन आरोपी व्यक्तियों को रोक दिया और आरोपी-प्रत्यार्थी के कब्जे में 7.2 किलोग्राम कंट्राबेंड सामग्री (अफीम) पाई. इसके बाद दो नमूने तैयार किए गए, जिनमें से प्रत्येक का वजन 30 ग्राम था और इसे 'ए 1' और 'ए 2' के रूप में चिह्नित किया गया था और शेष सामग्री को सील कर 'ए' के रूप में चिह्नित किया गया था.

आरोपी ने अपराध करना कबूल कर लिया और उसका बयान दर्ज करने के बाद अधीक्षक को एक रिपोर्ट सौंपी गई जिसने हरविंदर सिंह (पीडब्लू 6) को विवेचना अधिकारी नियुक्त किया. मलखान में जब्त किए गए कंट्राबेंड को जमा करने के बाद, नमूने रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे गए थे और आरोपी के खिलाफ अधिनियम की धारा 8/18 और 29 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी. शिकायत का संज्ञान लेते हुए, विशेष न्यायाधीश, नीमुच ने अपने फैसले से दिनांक 21 अप्रैल, 2008 को दोषी ठहराया उन्होंने उसे दस साल की कठोर कारावास और रु. 1,00,000/- का जुर्माना भरने की सजा सुनाई।

3. विद्वान परीक्षण न्यायाधीश के फैसले से क्षुब्ध होकर, अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। आक्षेपित फैसले से, उच्च न्यायालय ने देखा कि जब्त मामले की संपत्ति थोक मात्रा में थी जिसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा निस्तारण नहीं किया गया, अधिनियम की धारा 67 के तहत अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया था जब अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत में था और अभियुक्तों के हस्ताक्षर को कोरे कागजों पर गलत तरीके से प्राप्त किया गया था और इसलिए उसका बयान नहीं लिया जा सकता है अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वेच्छा से बनाया गया. इसलिए, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की अपील की अनुमति दी और उसे आरोपों से बरी कर दिया. पीड़ित राज्य हमारे सामने अपील में है।

4. हमने अपीलार्थी राज्य के लिए उपस्थित वरिष्ठ वकील और अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना और ध्यान से रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

5. राज्य के लिए वरिष्ठ वकील ने अधिनियम की धारा 52 ए के प्रावधानों पर अपने तर्कों को केंद्रित करने के लिए कहा कि 14 अक्टूबर, 2004 को जब्त किए गए मामले को कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सौंपने के बाद, यह पाया गया कि दो पॉलिथीन पैकेटों में क्रमशः 4 किलोग्राम और 3.2 किलोग्राम अफीम और उनमें से 30-30 ग्राम दो पैकेटों में से प्रत्येक को तैयार किया गया

है और ए 3 और ए 4 के रूप में चिह्नित किया गया है और सील कर दिया गया है. जब्त सामान को खोलने से पहले और नमूने तैयार करने के बाद, तस्वीरें ली गईं और कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने सभी सील पैकेट और नमूनों पर सील के साथ विधिवत हस्ताक्षर किए हैं. मामले की संपत्ति को अधिनियम के प्रावधानों के तहत नष्ट कर दिया गया था और परीक्षण के दौरान इन्वेंट्री और तस्वीरें प्रस्तुत की गई थीं जो अधिनियम के तहत प्राथमिक साक्ष्य बनाते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय उन्हें कानून के प्रावधानों के तहत मानने में विफल रहा. वरिष्ठ वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने केवल अभियुक्त की गवाही पर विश्वास करके गंभीर त्रुटि की है कि उसके हस्ताक्षर जबरन कोरे कागजों पर प्राप्त किए गए थे। जबकि अभियोजन कथानक के समर्थन में पर्याप्त सबूत थे।

6. दूसरी ओर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित फैसले का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने कानून के स्थापित प्रावधानों, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 52-ए के तहत मामले के सभी पहलुओं पर विवेकपूर्ण तरीके से विचार किया, और उसके बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभियोजन पक्ष प्रत्यार्थी अभियुक्त के खिलाफ मामला साबित करने में विफल रहा है।

7. अभ्यपक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों और रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करने के बाद, शुरुआत में, हम यहां यह उद्धृत करना उचित समझते हैं कि उच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, वह पैरा 9 में इस प्रकार है-

“अधिनियम की धारा 52-ए के तहत कार्यवाही में, हरविंदर सिंह, पीडब्लू-6 ने दर्शाया है कि उन्हें इस मामले की संपत्ति मिली आदेश पत्र एक्सपी/28 द्वारा सिंगोली के कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाया गया. उस समय जब्त संपत्ति की तस्वीरें ली गई थीं, जो एक्स-पी/34 हैं और उसी को लिफाफे एक्स में रखा गया था. पी/29. आदेश पत्र पूर्व. पी/28 से पता चलता है कि संपत्ति का निपटान कार्यकारी मजिस्ट्रेट और तहसीलदार, सिंगोली द्वारा नहीं किया गया था, लेकिन नमूने ए-3, ए-4 और बी-3, बी-4 और सी-3, सी-4 के उचित होने के बाद. उपरोक्त नमूने और संपत्ति की थोक मात्रा को उपस्थित अधिकारी हरविंदर सिंह, सी.बी.ऐन. के निरीक्षक, को वापस कर दिया गया। इस आदेश पत्र पर, निरीक्षक हरविंदर सिंह द्वारा लेखों की प्राप्ति है। इस तरह, केवल नमूने कार्यकारी मजिस्ट्रेट और तहसीलदार, सिंगोली द्वारा तैयार किए गए थे, लेकिन वास्तविक संपत्ति का निपटान नहीं किया गया था। लगाए गए फैसले के पैरा 79 में, न्यायालय द्वारा यह भी आदेश दिया गया है कि संपत्ति को लंबित रखा जाए क्योंकि सह-अभियुक्त फरार है। इससे यह भी पता चलता है कि संपत्ति का निपटान नहीं किया गया था। अदालत में मुकदमे के समय इसे पेश नहीं किया गया था। अफीम की थोक मात्रा के न्यायालय में पेश न करने का अर्थ, यह साबित नहीं किया जा सकता है कि नमूने लेख-ए, बी, सी, डी, ई, एफ थोक मात्रा से तैयार किए गए थे।

8. उपरोक्त उद्धृत पैराग्राफ से क्या परिलक्षित होता है कि प्रत्येक 30 ग्राम के दो नमूने लेने के बाद, कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने शेष जब्त संपत्ति को जांच अधिकारी-पीडब्लू 6 को वापस कर दिया। उसी का पता लगाने के लिए, हमने कार्यकारी मजिस्ट्रेट, सिंगोली तप्पा द्वारा दर्ज 14 'अक्टूबर, 2004 (अनुबंध पी-5) की कार्यवाही की सटीक सामग्री को भी ध्यान से देखा है। जहां तक प्रत्यार्थी के संबंध में दर्ज की गई कार्यवाही इस प्रकार हैः

प्रक्रियाएँ

14.10.2004: मामला प्रस्तुत किया गया. श्री हरविंदर सिंह, निरीक्षक

(जांच अधिकारी), नारकोटिक्स ब्यूरो, सिंगोली ने प्रस्तुत किया है

जब्त सामान के तीन सील पैकेट क्राइम नं. 1/2004 के तहत

एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8/18 और 8/29. ये पैकेट

ए, बी और सी चिह्नित किए गए थे और विवरण निम्नानुसार दिए गए हैं;

(1) एः "ए" चिह्नित पैकेट पर यह संकेत दिया गया था कि पैकेट

जारोपराम पुत्र गंगा राम बिश्नोई से 7.200 किलोग्राम अफीम जब्त की गई. पैकेट खोलने पर पारदर्शी पॉलीथिन बैग मिला, जिसमें फिर से दो पॉलीथिन के पैकेट मिले. एक पॉलिथीन ने 4.000 किलोग्राम और दूसरे ने 3.2 किलोग्राम अफ़ीम का संकेत दिया। 30-30 ग्राम का एक समग्र नमूना दो पैकेटों से लिया गया है और एक छोटे प्लास्टिक पॉलिथीन में रखा गया है और ए 3 और ए 4 को चिह्नित किया गया है और सील कर दिया गया है। शेष जब्त सामान और नमूने हमेशा की तरह सील कर दिए गए हैं, जिन्हें उपस्थित अधिकारी श्री हरविंदर सिंह, निरीक्षक को सौंप दिया गया है।

9. उपरोक्त कार्यवाही से, यह स्पष्ट है कि शेष जब्त सामान को कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाया नहीं गया था. हमेशा की तरह सील किए गए नमूनों को भी जांच अधिकारी हरविंदर सिंह (पीडब्लू 6) को सौंप दिया गया. इसके अलावा ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में विशेष रूप से जब्त संपत्ति और मामले के रिकॉर्ड को सुरक्षित हिरासत में रखने के निर्देश दिए, क्योंकि सह-अभियुक्त भंवरलाल फरार था. ट्रायल कोर्ट अधिक विशेष रूप से निर्देश देता है

अपनी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए रिकॉर्ड के पहले पृष्ठ पर लाल स्याही के साथ एक नोट डालने के लिए. ऐसी स्थिति में, यह महत्व रखता है कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि कंट्राबेंड की शेष थोक मात्रा के साथ क्या हुआ. अभियोजन पक्ष से उचित स्पष्टीकरण का अभाव इसके मामले को काफी कमजोर करता है और गवाहों द्वारा दिए गए बयानों के स्पष्ट मूल्य को कम करता है.

10. जब्त अफीम की थोक मात्रा को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से चूक, कथित रूप से जब्त किए गए कंट्राबेंड से ए, बी, सी, डी, ई, एफ के रूप में खींचे गए और चिह्नित नमूनों की वास्तविकता पर न्यायालय के मन में संदेह पैदा करेगा. हालाँकि, सरल तर्क जो उसी को नष्ट कर दिया गया था, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह किस अधिकार पर किया गया था. कानून की आवश्यकता है कि इस तरह के अधिकार को मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश से प्रवाहित होना चाहिए. रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि किसी भी समय अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त अफीम को नष्ट करने या उसके निपटान के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई थी. अभियोजन पक्ष को कार्रवाई का एकमात्र सहारा लेना चाहिए था, इसके निपटान के लिए अधिनियम की धारा 52 ए के तहत परिकल्पित मजिस्ट्रेट के सक्षम न्यायालय से एक आदेश प्राप्त करना है. यह स्पष्ट रूप से अधिनियम के तहत बनाया गया है कि जब भी ऐसा कोई आवेदन किया जाता है, मजिस्ट्रेट, जैसे ही हो सकता है, आवेदन की अनुमति दे सकता है [यह भी देखें: नूर आगा बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2008) 16 एससीसी 417]।

11. इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने कथित रूप से जब्त सामग्री की थोक मात्रा के निपटान/विनाश के लिए ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया है और न ही मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित किया गया है। यहां तक कि अभियुक्त को पहले भी कोई नोटिस कथित विनष्टीकरण या निस्तारण हेतु नहीं दिया गया है।

यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन की कहानी को जल्दबाजी में माना है और प्रतिषिद्ध पदार्थ की थोक मात्रा के न्यायालय में पेश किये बिना प्रत्यार्थी को सजा सुनाई है। लेकिन, उच्च न्यायालय ने मामले के इस पहलू से निपटने में कोई त्रुटि नहीं की और अभियोजन की कहानी को अस्वीकार कर दिया कि इतने भारी मात्रा में बरामद प्रतिषिद्ध पदार्थ को न्यायालय में साक्ष्य के समय पेश कर उन्हें प्रदर्शकित कराकर साबित क्यों नहीं किया गया।

12. अभियोजन मामले में अन्य विसंगतियों की ओर मुड़ते हुए, पीडब्लू. और 2 अभियोजन पक्ष द्वारा चित्रित स्वतंत्र गवाहों को पक्षद्रोही घोषित किया गया है और उनके द्वारा मामले का समर्थन नहीं किया गया। यह रिकॉर्ड से प्रकट होता है कि उन्होंने जांच एजेंसी के दबाव पर कागजात पर अपने हस्ताक्षर डाल दिए थे। एक अन्य पहलू जो अभियुक्त के पक्ष में जाता है, अभियोजन पक्ष का कथानक की प्रत्यार्थी अभियुक्त ने स्वेच्छा से इकबालिया बयान दिया है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि नारकोटिक्स ऑफिसर (पीडब्लू 5), एक प्रमुख अभियोजन पक्ष के गवाह द्वारा बयान दिया है, कि अभियुक्त का बयान-अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किया गया था, जबकि वह उसकी हिरासत में था और बयानों पर समय का उल्लेख नहीं किया गया था। यह तथ्य आगे पीडब्लू 6 के बयान के साथ भी पुष्टि करता है कि

गिरफ्तारी के बाद और हिरासत में रहते हुए अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया था। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपराध कबूल करने वाले अभियुक्त का बयान स्वेच्छा से अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया था।

13. उपरोक्त कारणों से, हम उच्च न्यायालय के निर्णय के साथ पूरी तरह से सहमत हैं। हमें सुविचारित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है. अपील में योग्यता का अभाव है और इसे खारिज किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निस्तारण किया जाता है।

अपील खारिज।

देविका गुजराल

Jai Shankar Mishra